[2017] 4 एस. सी. आर. 767

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और एक अन्य

बनाम

गुजरात राज्य और एक अन्य

(सिविल अपील संख्या 4842/2017)

02 मई, 2017

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

बॉम्बे विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958:

धारा 3 (2) (vii) (a) और धारा 3 (3)-धारा 3 (2) (vii) के प्रावधानों के तहत और 1958 अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी अधिसूचना के तहत भी अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा शुल्क से छूट का दावा-आयोजितः अपीलकर्ताओं ने स्थापित क्षमता का 58 प्रतिशत बिजली बोर्ड को बेच दिया-इसलिए, धारा 3 (2) (vii) (a) के तहत छूट उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऊर्जा बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से उत्पन्न नहीं की गई थी-इसके अलावा,अपीलार्थी छूट के लाभ का हकदार नहीं है जैसा कि अधिसूचना दिनांक 27.2.1992 के तहत दावा किया गया है क्योंकि उक्त अधिसूचना में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि उत्पादन सेट 11 जनवरी 1991 से शुरू होने और 31 दिसंबर 1992 को समाप्त होने की अवधि के दौरान खरीदे या स्थापित या चालू किए जाने चाहिए थे, जबकि विचाराधीन उत्पादन सेट अगस्त 1995 में चालू किए गए थे-बिजली।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. 1958 अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) (a) (i) 1 के तहत दावा "खपत की गई ऊर्जा की इकाइयों पर शुल्क" से संबंधित है। उप-धारा 2 विभिन्न परिस्थितियों की गणना करती है जिनके तहत खपत की गई ऊर्जा की इकाइयों पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वैधानिक योजना में मुख्य शब्द हैं "अपने स्वयं के उपयोग के लिए या संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले औद्योगिक उपक्रमों के उपयोग के लिए, जो संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, अकेले या किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न करता है।" अपीलार्थी सं. 1 एक अलग पंजीकृत कंपनी है जिसके पास अपीलार्थी सं. 1 के 42 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। 2. अपीलार्थी संख्या 2 को बिजली उत्पादन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में गठित किया गया है। अपीलार्थी नं. 2 बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 2 (4 ए) के अर्थ में एक उत्पादन कंपनी है। [पैरा 14,15] [776-बी-सी; 777-ए-सी]

1.2 यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ता संख्या 1 और अपीलकर्ता संख्या 2 संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन करने वाले औद्योगिक उपक्रमों के उपयोग के लिए संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, गुजरात विद्युत बोर्ड जिसे 300 मेगावाट आवंटित किया गया है, को औद्योगिक उपक्रम नहीं माना जा सकता है जो अपीलकर्ता के साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। छूट देने के लिए सांविधिक योजना का सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए। अपीलकर्ता संख्या 2 गुजरात विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है और यह गुजरात विद्युत बोर्ड को 300 मेगावाट तक की ऊर्जा बेच रहा है। राज्य सरकार के दिनांकित 05.06.1995 के पत्र में कहा गया है कि यदि ई. पी. एल. द्वारा कोई अतिरिक्त बिजली उत्पन्न की जाती है, तो उसे बोर्ड द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदा जा सकता है। बिजली खरीद समझौते के

तहत गुजरात विद्युत बोर्ड को 58 प्रतिशत तक बिजली आवंटित की गई थी और 42 प्रतिशत बिजली आपूर्ति बहनों की संस्था यानी गुजरात विद्युत बोर्ड को दी जानी थी। एस्सार गुजरात, एस्सार स्टील और एस्सार ऑयल एक विशेष मामले के रूप में। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कर कानून को विशेष रूप से छूट अधिसूचना के रूप में सख्ती से समझा जाना चाहिए और यह कि छूट प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या इसमें प्रयुक्त शब्दों के आलोक में की जानी चाहिए और वैधानिक प्रावधान से कोई जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है। इस प्रकार धारा 3 (2) (vii) (ए) के वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और यदि किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने की शर्त पूरी नहीं होती है, तो दावे को खारिज कर दिया जाना चाहिए। [पेरा 17-20] [778-E-F; 779-A-B, F-G; 781-H; 782-A]

1.3 वर्तमान मामले में, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता संख्या 2 को अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा ही एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में बनाया गया था। यदि अपीलकर्ता संख्या 2 केवल अपीलकर्ता संख्या 1 को शक्ति की आपूर्ति कर रहा होता, तो दावा विचार के योग्य था। लेकिन वर्तमान में एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता संख्या 2 उन औद्योगिक उपक्रमों को ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है जिनके साथ वह संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है। यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि वर्तमान मामले में ई. पी. एल. और ई. सी. एल. के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय का निर्णय केवल उपरोक्त आधार पर आधारित नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया है कि 1958 अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) (ए) (आई) के तहत निर्धारित शर्तें संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए, अपीलार्थी संख्या 1 छूट का हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय उचित रूप से इस

निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 3 (2) (vii) (a) में उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं होती हैं। [पैरा 23,30) [782-जी-एच; 787-सी-ई]

2. अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत दावा बॉम्बे विद्युत अधिनियम, 1958 की धारा 3 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांकित 27.02.1992 अधिसूचना जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना के तहत अपीलार्थी द्वारा उठाए गए दावे पर विशेष रूप से उच्च न्यायालय और सरकार द्वारा विचार किया गया था। अधिसूचना की प्रयोज्यता के लिए जिस शर्त की कमी पाई गई, वह यह थी कि 01.01.1991 से 31.12.1992 तक की अवधि के दौरान जनरेटिंग सेट खरीदे या स्थापित या चालू नहीं किए गए थे। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि उत्पादन सेट अगस्त 1995 के महीने में चालू किए गए थे। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह था कि अधिसूचना के आवेदन के 180 दिनों के भीतर या जनरेटिंग सेट की स्थापना की तारीख यानी अगस्त 1995 से भी कोई आवेदन नहीं किया गया था। भले ही उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दूसरे कारण को नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 की शर्त संख्या (ए) को पूरा न करने पर स्पष्ट रूप से अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत दावे को अस्वीकार कर दिया जाता है। इस अपील में भी उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर हमला करने के लिए कोई आधार या आधार निर्धारित नहीं किया गया है कि जनरेटिंग सेट 01.01.1991 से 31.12.1992 तक नहीं खरीदा गया था। अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं है। उच्च न्यायालय ने धारा 3 (2) के साथ-साथ धारा 3 (3) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत अपीलार्थी के दावे को सही ढंग से नकार दिया। [पैरा 31-35] [787-E-F; 788-डी-ई; 789-सी-एफ]

एपी. गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य नियामक आयोग और एक अन्य (2004) 10 एस. सी. सी. 511: [2004) 3 एस. सी. आर. 426-विशिष्ट।

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड (2016) 9 एस. सी. सी. 103-लागू नहीं है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सूरत 1 बनाम फेवरेट इंडस्ट्रीज़ (2012) 7 एस. सी. सी. 153; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रेनुसागर पावर कंपनी और अन्य। (1988) 4 एस. सी. सी. 59: (1988) 1 पूरक एस. सी. आर. 627-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2004) 3 एस. सी. आर. 426 विशिष्ट पैरा 7

(2012) 7 एस. सी. सी 153 संदर्भित पैरा 19

1988 1 पूरक एस. सी. आर. 627 संदर्भित पैरा 22

(2016) 9 एस. सी. सी. 103 को संदर्भित लागू नहीं होता पैरा 28

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 4842/2017

2009 के विशेष सिविल आवेदन सं. 10946 में 2010 की सं. 518 की लेटर्स पेटेंट अपील में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के 07.09.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

मिहिर जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता, क्यूर गांधी, महेश अग्रवाल, सुश्री नीहा नागपाल (ई. सी. अग्रवाल के लिए), अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. जी. रामचंद्र, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री पूजा सिंह, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

अशोक भूषण, जे.

1. यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के दिनांक 07.09.2016 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं की लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया गया है, जिसमें दिनांक 25.02.2010 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की गई है। राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 24.09.2099 के आदेश के साथ-साथ दिनांक 06.10.2009 के मांग नोटिस को चुनौती देते हुए अपीलार्थी द्वारा विशेष नागरिक आवेदन दायर किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

2. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले के जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है, वे हैंः -

अपीलार्थी संख्या 1 कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत विधिवत निगमित कंपनी है जो इस्पात उत्पादों के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। अपीलार्थी संख्या 2 कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत एक विधिवत निगमित कंपनी भी है, जो विद्युत ऊर्जा बेचने/आपूर्ति करने वाली एक उत्पादक कंपनी है। अपीलार्थी नं. 1 कंपनी ने एच. बी. आई. के उत्पादन के लिए वर्ष 1990 या उसके आसपास हजीरा में अपना गैस आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित किया। इसने अपने एच. बी. आई. संयंत्र के लिए बिजली की कैप्टिव खपत के लिए 20 मेगावाट का ओपन साइकिल पावर प्लांट भी स्थापित किया। अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदन पर सं. 1

कंपनी, राज्य सरकार ने उक्त ओपन साइकिल पावर प्लांट के संबंध में 21.07.1990 से शुरू होने वाली 10 साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क के भुगतान से छूट दी। तत्पश्चात, अपीलार्थी नं. 1 कंपनी ने 20 मेगावाट के उक्त ओपन साइकिल पावर प्लांट को भाप टरबाइन जोड़कर 30 मेगावाट के संयुक्त साइकिल मोड पावर प्लांट में बदल दिया। इस तरह के रूपांतरण के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी सं 1 कंपनी को राज्य सरकार द्वारा 21.07.1990 से शुरू होने वाली 15 साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। वर्ष 1991 में, अपीलार्थी नं. 1 कंपनी एच. बी. आई. और एच. आर. सी. दोनों के उत्पादन के लिए पर्याप्त निवेश करने के बाद एक समग्र संयंत्र स्थापित करना चाहती थी। इसलिए, वर्ष 1991-92 में या उसके आसपास, अपीलकर्ता संख्या 1 कंपनी ने अपनी अधिक बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हजीरा में संयुक्त चक्र मोड में 300 मेगावाट क्षमता का एक और कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने के बारे में सोचा। अपीलार्थी ने संबंधित समय पर कैप्टिव पावर प्लांट को उपलब्ध लाभों को देखते हुए ऐसा करने के बारे में सोचा। गुजरात सरकार और गुजरात विद्युत बोर्ड ने अपीलार्थी नं. 300 मेगावाट के उक्त कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए 1 कंपनी। हालाँकि, वर्ष 1991-92 में भारत सरकार की बिजली नीति में बदलाव आया, जिसने बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी। गुजरात सरकार ने भी उस नीति को प्रभावी बनाने के लिए बॉम्बे विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958 (इसके बाद 1958 अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत दिनांक 27.02.1992 पर एक अधिसूचना जारी की। इसलिए अपीलकर्ता संख्या 1 कंपनी ने संयुक्त चक्र मोड में 300 मेगावाट के उक्त कैप्टिव पावर प्लांट को स्थापित करने की अपनी योजना को छोड़ दिया और इसके बजाय, "एस्सार पावर लिमिटेड" के नाम और शैली के तहत एक अलग उत्पादन कंपनी को बढ़ावा दिया और शामिल किया, अपीलार्थी 2 एक विशेष

प्रयोजन वाहन है जिसे अपीलार्थी 1 कंपनी द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 कंपनी के साथ-साथ गुजरात विद्युत बोर्ड को बिजली की आपूर्ति के लिए बढ़ावा दिया गया है।

3. गुजरात सरकार ने हजीरा में 510 मेगावाट उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए अपीलार्थी 2 की मांग पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताते हुए दिनांक 16.06.1995 का एक आदेश जारी किया। अपीलार्थी 2 ने बिजली का उत्पादन शुरू किया 08.08.1995 से। अपीलार्थी 1 के पास अपीलार्थी 2 कंपनी के 42 प्रतिशत इक्विटी शेयर थे। 515 मेगावाट में से 300 मेगावाट क्षमता जी. ई. बी. (गुजरात विद्युत बोर्ड) को आवंटित की गई है जो स्थापित क्षमता का 58 प्रतिशत है, 215 मेगावाट की शेष क्षमता जो 30 मई 1996 के बिजली खरीद समझौते में निहित शर्तों के अनुसार कंपनी के एस्सार समूह के लिए 42 प्रतिशत है।

4. अपीलार्थी संख्या 1 ने बॉम्बे विद्युत अधिनियम, 1958 (इसके बाद अधिनियम 1958 के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (3) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत बिजली शुल्क के भुगतान से छूट की मांग करते हुए दिनांक 15.03.2001 पर एक आवेदन दायर किया था। 1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) (a) (i) के तहत 15 साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क से छूट की मांग करते हुए बिजली आयुक्त को अपीलकर्ता संख्या द्वारा 12.04.2001 दिनांकित एक अन्य आवेदन भेजा गया था। गुजरात राज्य के वीडियो आदेश दिनांक 23.12.2002 ने धारा 3 (2) के तहत छूट के अनुरोध को खारिज कर दिया। 23.12.2002 दिनांकित आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने 17.03.2003 दिनांकित आदेश के माध्यम से सरकार को एक नया निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया था। राज्य सरकार ने फिर से आदेश द्वारा कुल उत्पादन के 42 प्रतिशत के बराबर 215 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए बिजली शुल्क के भुगतान के लिए छूट देने के

लिए अपीलकर्ता संख्या 1 के आवेदन को खारिज कर दिया। रिट याचिका को फिर से 23.01.2006 दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय ने 23.01.2006 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया था। और सरकार को एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने धारा 3 (2) (vii) (a) (i) के साथ-साथ अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत बिजली शुल्क के भुगतान में छूट के लिए अपीलकर्ता संख्या 1 के दावे को खारिज करते हुए दिनांक 24.12.2009 का विस्तृत आदेश पारित किया। अप्रैल 2000 से अगस्त 2009 की अवधि के लिए कुल ₹2 करोड़/- के ब्याज के साथ 562 करोड़ रुपये के बिजली शुल्क के भुगतान के लिए दिनांक 24.09.2009 वसूली नोटिस जारी किया गया था। राज्य सरकार के दिनांकित 24.09.2009 के आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा 2009 के विशेष नागरिक आवेदन संख्या 10946 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को अपने दिनांकित 25.02.2010 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई थी। लेटर्स पेटेंट अपील में, शर्तों पर एक अंतरिम आदेश वांछित थाः

i) अपीलार्थी 30 अप्रैल 2010 तक बिजली के बकाया के बदले 20 करोड़ रुपये की दो किश्तों में 50 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

(ii) अपीलार्थी नं. 1 बिजली के बकाया के बदले में 1 मई 2010 से हर महीने 15 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करेगा।

5. लेटर्स पेटेंट अपील अंततः 07.09.2016 पर डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दी गई, जिसके खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है।

6. हमने अपीलार्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिहिर जोशी और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. ए. सुंदरम को सुना है।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि ए. पी. गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा इस मुद्दे को पूरी तरह से उसके पक्ष में शामिल किया गया है। बनाम आंध्र प्रदेश राज्य नियामक आयोग और एक अन्य, (2004) 10 एस. सी. सी. 511, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, कि एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा उत्पन्न और प्रतिभागी सदस्य द्वारा अपने इक्विटी योगदान की सीमा तक खपत की जाने वाली बिजली, बिजली की कैप्टिव खपत के बराबर होगी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को इस आधार पर अलग किया कि उस मामले में पक्षकार एक समझौता ज्ञापन ("एमओयू") द्वारा शासित थे जो वर्तमान मामले में नहीं था और दूसरा, इस आधार पर कि ईएसआईएल ईपीएल से 215 मेगावाट बिजली खरीद रहा था।

8. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार करना कि यह बॉम्बे विद्युत शुल्क नियम, 1968 के नियम 11 के तहत निर्धारित प्रपत्र में नहीं किया गया था, गलत है और यदि अस्वीकृति केवल पहले चरण में आवेदन दाखिल न करने के आधार पर होती तो ऐसा किया जा सकता था क्योंकि राज्य के पास देरी को माफ करने की शक्ति थी। वैकल्पिक रूप से, अपीलकर्ता इस तथ्य के कारण अधिसूचना दिनांक 1 के तहत छूट का हकदार था कि ई. एस. आई. एल. ई. पी. एल. के साथ संयुक्त रूप से बिजली का उत्पादन कर रहा था और उसने निर्धारित अवधि के दौरान विक्रेताओं को खरीद मूल्य का भुगतान करके उत्पादन सेट भी खरीदे थे। यह भी तर्क दिया जाता है कि इसी तरह की परिस्थितियों में गुजरात सरकार ने जी. आई. पी. सी. एल. को बिजली शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ दिया था और इसलिए, ई. एस.

आई. एल. जो इसी तरह स्थित है, उसे छूट के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

9. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उपरोक्त निवेदन का खंडन करते हुए तर्क दिया कि सरकार के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने कर्तव्य की छूट के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया है। अपीलार्थी न तो धारा 3 (2) के तहत वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और न ही अधिसूचना की शर्तों को पूरा करता है। एस्सार पावर और एस्सार स्टील अलग और स्वतंत्र कानूनी संस्थाएं हैं। एस्सार इस्पात ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है। एस्सार स्टील अकेले या जी. ई. बी. या उसकी उत्तराधिकारी इकाई, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड या यहाँ तक कि एस्सार पावर के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन नहीं कर रहा है। एस्सार पावर अपने उपयोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है। एस्सार पावर लिमिटेड ने 515 मेगावाट बिजली स्टेशन की स्थापना की है, जिसमें से 300 मेगावाट क्षमता गुजरात विद्युत बोर्ड (जी. ई. बी.) को आवंटित की गई है। इस प्रकार स्थापित क्षमता का 58 प्रतिशत जी. ई. बी. को आवंटित किया जाता है और इस तरह की क्षमता के संबंध में ई. एस. एस. ए. आर. पावर लिमिटेड बिजली का उत्पादन और बिक्री एक उत्पादन केंद्र के रूप में करता है न कि जी. ई. बी. के कैप्टिव पावर प्लांट के रूप में। 215 मेगावाट की शेष क्षमता, जो 42 प्रतिशत है, ई. एस. एस. ए. आर. समूह की कंपनियों के लिए है, जो ई. एस. एस. ए. आर. पावर और जी. ई. बी. के बीच हुए बिजली खरीद समझौते के साथ-साथ ई. एस. एस. ए. आर. पावर और ई. एस. एस. ए. आर. स्टील के बीच हुए बिजली खरीद समझौते के अनुसार है। इन समझौतों में से प्रत्येक के खंड स्पष्ट रूप से असंगत हैं कि एस्सार पावर को 1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) के दायरे में कैप्टिव उत्पादन और उपयोग के रूप में माना जा रहा है। अपीलार्थी को छूट के लाभ से उचित रूप से वंचित कर दिया गया है जैसा कि अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के

तहत दावा किया गया है। 27.02.1992 की अधिसूचना की शर्त में विशेष रूप से कहा गया है कि जेनरेटिंग सेट या सेट को 01.01.1991 से शुरू होने और 31.12.1992 पर समाप्त होने की अवधि के दौरान खरीदना या स्थापित करना या चालू करना होगा। यह जनरेटिंग सेट की खरीद के लिए दिए गए ऑर्डर को शामिल नहीं करता है। चूँकि एस्सार स्टील ने केवल सेट बनाने का आदेश दिया है, लेकिन उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर न तो खरीदा है और न ही स्थापित किया है और न ही उत्पन्न किया है, इसलिए यह इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है और इसलिए उक्त अधिसूचना के लाभों का हकदार नहीं है। खरीद के मामले में, माल में संपत्ति मालिक को हस्तांतरित की जाती है, यहाँ, दिए गए मामले में, माल में संपत्ति को हस्तांतरित नहीं माना जा सकता है जब उसे केवल आदेश दिया जाता है।

10. पक्षकारों के विद्वान वकील ने अपने-अपने प्रस्तुतिकरण के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा रखा है जिन्हें प्रस्तुतिकरणों पर विस्तार से विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा।

11. हमने पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

12. अभिलेख पर आए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी नं. 1 ने धारा 3 (2) (vii) के प्रावधानों के साथ-साथ 1958 अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी अधिसूचना के तहत अलग-अलग अवधि के लिए शुल्क से छूट का दावा किया था जो पहले दी गई थी। अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा प्राप्त छूट के लाभ का विवरण उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्णय के पैरा 54 में निकाला गया है। निर्णय में उद्धृत तालिका को निकालना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए नीचे उद्धृत की गई हैः

13. वर्तमान मामले में, नियमों के नियम 11 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में कोई आवेदन अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा दायर नहीं किया गया था और पहले के लिए बाद में 12.04.2001 पर फिर से 1958 अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) (a) (i) के तहत छूट का दावा किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए शुल्क के भुगतान से छूट दो भागों में है। पहला, 1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) (a) (i) के तहत और दूसरा, अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत। हम दोनों दावों की अलग-अलग जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं. जब अपीलकर्ता दिनांकित 27.02.1992 अधिसूचना के तहत छूट की मांग करते हुए 15.03.2001 दिनांकित एक आवेदन के साथ आया था और बाद में 12.04.2001 पर फिर से 1958 अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) (a) (i) के तहत छूट का दावा किया है। अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए शुल्क के भुगतान से छूट दो भागों में है। पहला, 1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) (a) (i) के तहत और दूसरा, अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत। हम दोनों दावों की अलग-अलग जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

धारा 3 (2) (vii) (a) (i) विभिन्न परिस्थितियों के तहत दावा, जिनके तहत खपत की गई ऊर्जा की इकाइयों पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा। धारा 3 (2) (vii) (a) (i) और 3 (3) नीचे उद्धृत की गई हैः

"3. खपत की गई ऊर्जा की इकाइयों पर शुल्क.....

(2) खपत की जाने वाली ऊर्जा की इकाइयों पर बिजली शुल्क नहीं लगाया जाएगा.....

(vii) औद्योगिक उद्देश्य के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिसरों के संबंध में प्रेरक बिजली और प्रकाश के लिए, निम्नलिखित अवधि की समाप्ति तक, अर्थात-

(क) किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के मामले में जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए या संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले औद्योगिक उपक्रमों के उपयोग के लिए, जो संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, अकेले या संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न करता है।

(i) बॉम्बे विद्युत शुल्क (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारंभ की तारीख से पंद्रह साल (इसके बाद इस उप-धारा और उप-धारा (2ए) और (2एए) में "प्रारंभ की तारीख" के रूप में संदर्भित) या ऐसी ऊर्जा का उत्पादन शुरू करने की तारीख, जो भी बाद में ऐसी ऊर्जा के उत्पादन में हो, बैक प्रेशर टरबाइन द्वारा या यदि ऐसी ऊर्जा का उत्पादन सह-उत्पादन द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जो उसमें निर्दिष्ट किए जाएं, शुल्क की दर को कम कर सकती है या निम्नलिखित के संबंध में शुल्क का भुगतान कर सकती है -

15. वैधानिक योजना में मुख्य शब्द हैं "अपने स्वयं के उपयोग के लिए या संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले औद्योगिक उपक्रमों के उपयोग के लिए, जो संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, अकेले या किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न करता है।" हमें यह पता लगाने के लिए वर्तमान मामले के तथ्यों पर गौर करना होगा कि क्या ऊपर उल्लिखित वैधानिक शर्तें वर्तमान मामले के तथ्यों में संतुष्ट हैं या नहीं। अपीलार्थी संख्या 1 एक अलग पंजीकृत कंपनी है जिसके पास अपीलार्थी संख्या 2 के 42 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। अपीलार्थी संख्या 2 को बिजली उत्पादन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में गठित किया गया है। अपीलार्थी संख्या 2 विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 2 (4ए) के अर्थ में एक उत्पादन कंपनी है। अपीलार्थी के वकील द्वारा जो निवेदन किया गया है वह यह है

कि अपीलार्थी संख्या 1 और अपीलार्थी संख्या 2 दोनों औद्योगिक उपक्रमों के उपयोग के लिए संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं जो संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं।

16. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक बिजली खरीद समझौता है जिसमें अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा बिजली की बिक्री के लिए विभिन्न शर्तें शामिल हैं। राज्य सरकार ने अपने दिनांक 24.09.2009 के आदेश में दिनांक 01.06.1996 के बिजली खरीद समझौते में पाठ निकाले हैं जो निम्नलिखित प्रभाव के हैंः-" जबकि कंपनी बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड 4 (ए) के तहत परिभाषित एक उत्पादन कंपनी है और कंपनी ने हजीरा जिले में 515 मेगावाट के संयुक्त साइकिल उत्पादन केंद्र को काफी हद तक लागू किया है। सूरत, गुजरात, जिसमें से उसने पहले ही 3 x 110 मेगावाट गैस टर्बाइन उत्पादन शुरू कर दिया है, 330 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता स्थापित की है। और जब कंपनी उक्त उत्पादन केंद्र की स्थापना कर रही है और उसे अपनी सहयोगी कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक विशेष मामले के रूप में अनुमति दी गई है। एस्सार स्टील लिमिटेड और एस्सार ऑयल लिमिटेड, जिसे इसके बाद संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से 'एस्सार समूह कंपनियाँ' कहा जाता है।

और जबकि ई. एस. टी. एल., जो हजीरा में इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है, इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर ओपन साइकिल मोड में 138 मेगावाट क्षमता के बराबर जनरेटिंग स्टेशन द्वारा उत्पन्न विद्युत उत्पादन और संयुक्त साइकिल मोड संचालन में 215 मेगावाट क्षमता (इसके बाद सामूहिक रूप से या अलग-अलग रूप से 'आवंटित क्षमता' के रूप में संदर्भित) खरीदने का इरादा रखती है।

16. एस्सार पावर लिमिटेड और एस्सार स्टील लिमिटेड के बीच दिनांक 01.06.1996 के पी. पी. ए. के अनुच्छेद 3 में कहा गया हैः क्षमता का आवंटन निम्नानुसार होगाः (ए) संयुक्त चक्र मोड संचालन के चालू होने से पहले ओपन साइकिल मोड संचालन के दौरान कंपनी आवंटित करेगीः ई. एस. टी. एल. को 138 मेगावाट और जी. ई. बी. को 192 मेगावाट (बी) संयुक्त चक्र मोड के दौरान ई. एस. टी. एल. को 215 मेगावाट और जी. ई. बी. को 300 मेगावाट।

17. यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ता संख्या 1 और अपीलकर्ता संख्या 2 संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन करने वाले औद्योगिक उपक्रमों के उपयोग के लिए संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, गुजरात विद्युत बोर्ड जिसे 300 मेगावाट आवंटित किया गया है, को औद्योगिक उपक्रम नहीं माना जा सकता है जो अपीलकर्ता के साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। छूट देने के लिए सांविधिक योजना का सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए। अपीलकर्ता संख्या 2 गुजरात विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है और यह गुजरात विद्युत बोर्ड को 300 मेगावाट तक की ऊर्जा बेच रहा है। धारा 3 (2) (vii) (a) के वैधानिक प्रावधानों की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि ई. एस. एल. और ई. पी. एल. दोनों अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं, केवल इसलिए कि ई. एस. एल. की ई. पी. एल. में 42 प्रतिशत हिस्सेदारी हो सकती है, यह नहीं कहा जा सकता है कि ई. एस. एल. ई. पी. एल. के साथ संयुक्त रूप से बिजली का उत्पादन कर रहा है और ई. पी. एल. ई. एस. एल. द्वारा बिजली के उपयोग के लिए ई. एस. एल. के साथ संयुक्त रूप से बिजली का उत्पादन कर रहा है।

18. धारा 3 (2) (vii) (a) में निहित छूट देने की वैधानिक शर्तों के साथ न तो छेड़छाड़ की जा सकती है और न ही उन्हें कम किया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान

वकील का तर्क है कि राज्य सरकार ने एस्सार बिजली संयंत्र को एक विशेष मामले के रूप में एक उत्पादन केंद्र स्थापित करने और उसके द्वारा उत्पन्न बिजली की आपूर्ति अपने संबंधित सहयोगी यानी एस्सार स्टील और एस्सार ऑयल को एक विशेष मामले के रूप में करने की अनुमति दी थी। राज्य सरकार के दिनांक 05.06.1995 के पत्र में आगे कहा गया है कि यदि ई. पी. एल. द्वारा कोई अतिरिक्त बिजली उत्पन्न की जाती है, तो उसे बोर्ड द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.1995 के अनुमति पत्र को निकालना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव से थाः

> "सरकार ने उपरोक्त मामले पर सभी पहलुओं पर विचार किया है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, एस्सार पावर लिमिटेड की मांग पर सैद्धांतिक रूप से सहमत होने का निर्णय लिया है कि एक विशेष मामले के रूप में एक उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाए और उसके द्वारा उत्पादित बिजली की आपूर्ति उसकी सहयोगी कंपनी यानी एस्सार गुजरात, एस्सार स्टील्स और एस्सार ऑयल को फिर से एक विशेष मामले के रूप में की जाए, जो केवल विद्युत आपूर्ति अधिनियम की धारा 15-ए और 18-ए के तहत निर्धारित कानूनी प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन है और इस स्पष्ट शर्त के साथ कि इस विषय के माध्यम से उत्पन्न बिजली कभी भी राज्य के बाहर या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी, सिवाय इसके कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, यदि ई. पी. एल. द्वारा उत्पन्न बिजली को पहियों से चलाया जाना है, तो जी. ई. बी. ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार पहियों की दर तय करेगा। इसके अलावा, यदि ई. पी. एल. द्वारा कोई अतिरिक्त बिजली उत्पन्न की

जाती है, तो बोर्ड द्वारा प्रत्येक को बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य पर, निर्धारित मानदंडों के अधीन खरीद लिया जा सकता है, इसलिए अनुरोध किया जाता है कि जी. ई. बी. इस मामले में आगे 'आवश्यक कार्रवाई' कर सकता है।"

19. हमने ऊपर देखा है कि बिजली खरीद समझौते में गुजरात विद्युत बोर्ड को 58 प्रतिशत तक बिजली आवंटित की गई थी और 42 प्रतिशत बिजली आपूर्ति सिस्टर्स कंसर्न यानी एस्सार गुजरात, एस्सार स्टील और एस्सार ऑयल को एक विशेष मामले के रूप में दी जानी थी। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कर कानून का सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए, विशेष रूप से छूट अधिसूचना। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि छूट प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या इसमें प्रयुक्त शब्दों के आलोक में की जानी चाहिए और वैधानिक प्रावधान से कोई जोड़ या उपखंडन नहीं हो सकता है। यह न्यायालय केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सूरत-1 बनाम पसंदीदा उद्योग, 2012 (7) एस. सी. सी. 153 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के तहत जारी छूट अधिसूचना पर विचार करते हुए पैराग्राफ 35 से 40 में निम्नलिखित निर्धारित करता हैः

"35. अधिसूचना की व्याख्या उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के आलोक में की जानी चाहिए न कि किसी अन्य आधार पर। अधिसूचना से कोई जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है क्योंकि अदालतों द्वारा छूट अधिसूचना को सख्ती से समझने की आवश्यकता है। छूट अधिसूचना के शब्दों को इसका स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए, जब शब्द सरल, स्पष्ट और स्पष्ट हों।

36. सीमा शुल्क आयुक्त बनाम रूपा एंड कंपनी लिमिटेड के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि अधिसूचना में उपयोग किए गए स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों को प्रभावी बनाकर छूट अधिसूचना की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया हैः (एस. सी. सी. पीपी. 413-14, पैरा 7)

"7. हालाँकि, यदि बोर्ड और मंत्रालय द्वारा दी गई व्याख्या स्पष्ट रूप से गलत है तो यह न्यायालय उस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर सकता है। एक छूट अधिसूचना को सख्ती से समझा जाना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिसूचना के उद्देश्य और उद्देश्य को नजरअंदाज कर दिया जाए और उसमें उपयोग किए गए शब्दों को नजरअंदाज कर दिया जाए। जहाँ अधिसूचना के शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं, वहाँ इसे लागू किया जाना चाहिए। अधिसूचना के शब्दों द्वारा न्यायोचित नहीं होने वाली रचना देकर छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है।

37. सी. सी. ई. बनाम रुक्मणी पाकवेल ट्रेडर्स में, इस न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया हैः (एस. सी. सी पी. 804, पैरा 5)

"5.. यह तय किया गया कानून है कि छूट अधिसूचनाओं का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। उनकी व्याख्या उनके अपने शब्दों पर की जानी चाहिए। किसी अन्य अधिसूचना के शब्दों का किसी विशेष अधिसूचना को समझने में कोई लाभ नहीं है।"(जोर दिया गया)

38. कोहिनूर इलास्टिक्स (पी) लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया हैः (एस. सी. सी पी. 533, पैरा 7)

"7.. जब अधिसूचनाओं के शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हों तो उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए। तनावपूर्ण तर्क से लाभ तब नहीं दिया जा सकता जब यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध न हो।"

39. कम्पैक (पी) लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः (एस. सी. सी. पी. 306, पैरा 20)

"20. भल्ला एंटरप्राइजेज ने एक प्रस्ताव रखा कि अधिसूचना का अर्थ उपयोग की गई भाषा के आधार पर लगाया जाना चाहिए। रुक्मिणी पाकवेल ट्रेडर्स उसी प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है और यह भी कि किसी अन्य अधिसूचना के शब्दों का किसी विशेष अधिसूचना को समझने में कोई लाभ नहीं है। अधिसूचना में यह नहीं कहा गया है कि ऐसे मामले में छूट नहीं दी जा सकती है जहां कंटेनरों के निर्माण के लिए सभी इनपुट बेस पेपर या पेपरबोर्ड होंगे। पात्रों के निर्माण में कुछ अन्य आदानों का उपयोग किए जाने की संभावना है, जिसके लिए एमओडी वैट क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया गया है, जैसा कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा सुझाव दिया गया है, 'केवल आधार पत्र से बाहर' या 'विशुद्ध रूप से बाहर' शब्दों को जोड़ना होगा और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना को उसमें उपयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब तक किसी दस्तावेज़ को दिए गए शाब्दिक अर्थ विसंगति या बेतुकेपन की ओर नहीं ले जाते हैं,

तब तक शाब्दिक व्याख्या के सुनहरे नियम का पालन किया जाएगा। (जोर दिया गया)

40. सी. सी. ई. बनाम महान डेयरीज़ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैः (एस. सी. सी. पृष्ठ 800, पैरा 8)

"8. यह तय कानून है कि किसी अधिसूचना के लाभ का दावा करने के लिए, एक पक्ष को अधिसूचना की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि अधिसूचना के शब्दों पर लाभ उपलब्ध नहीं है तो अधिसूचना के शब्दों को फैलाकर या अधिसूचना में शब्दों को जोड़कर लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय पाकवेल ट्रेडर्स बनाम सी. सी. ई. में अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर आधारित किया है। हम पहले ही उस मामले में फैसले को खारिज कर चुके हैं। इस मामले में भी हम मानते हैं कि न्यायाधिकरण का निर्णय अस्थिर है। तदनुसार इसे अलग रखा जाता है।" (जोर दिया गया)

20. इस प्रकार धारा 3 (2) vii (a) के वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए और यदि किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने की शर्त पूरी नहीं होती है, तो दावे को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

21. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी केवल अपनी हिस्सेदारी यानी 42 प्रतिशत की सीमा तक उत्पाद शुल्क से छूट का दावा कर रहा है। एकल या संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले औद्योगिक उपक्रमों को छूट देने का उद्देश्य उन औद्योगिक उपक्रमों के उपयोग के लिए है जो संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न

कर रहे हैं। जब वर्तमान मामले में, उत्पादित ऊर्जा का 58 प्रतिशत गुजरात विद्युत बोर्ड को आवंटित किया गया है, जिसके साथ अपीलकर्ता संख्या 2 संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है, तो सांविधिक प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और जब उत्पन्न की जा रही ऊर्जा का उपयोग औद्योगिक उपक्रम द्वारा किया जाता है जो संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है तो दावा धारा 3 (2) (vii) (a) के तहत शामिल नहीं है।

22. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रेनुसागर पावर कंपनी और अन्य, 1988 (4) एस. सी. सी. 59 में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया है। उपरोक्त मामले में, मेसर्स रेनुसागर कंपनी ने मेसर्स हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बिजली की आपूर्ति के व्यवसाय में शामिल होने की मंजूरी प्राप्त की थी। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि कॉर्पोरेट पर्दा हटा दिया जाना चाहिए और हिंडाल्को और रेनुसागर को एक चिंता के रूप में माना जा सकता है और रेनुसागर पावर प्लांट को हिंडाल्को के उत्पादन के स्वामित्व वाले स्रोत के रूप में माना जाना चाहिए। पैराग्राफ 67 में निम्नलिखित बात कही गई थीः - "67. इस मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में हमारी राय है कि कॉर्पोरेट पर्दा हटा दिया जाना चाहिए और हिंडाल्को और रेनुसागर को एक चिंता के रूप में माना जाना चाहिए और रेनुसागर के बिजली संयंत्र को हिंडाल्को के उत्पादन के अपने स्रोत के रूप में माना जाना चाहिए और उस आधार पर शुल्क के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। परिसर में हिंडाल्को द्वारा इस तरह की ऊर्जा की खपत अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) के तहत आएगी। राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कई निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया गया है।

23. वर्तमान मामले में, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी संख्या 2 को अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा ही एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में बनाया गया था। यदि अपीलार्थी संख्या 2 केवल अपीलार्थी संख्या 1 को शक्ति की आपूर्ति कर रहा होता, तो दावा विचार के योग्य था। लेकिन वर्तमान में एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता संख्या 2 उन औद्योगिक उपक्रमों को ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है जिनके साथ वह संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है। इस प्रकार, यू. पी. राज्य और रेनुसागर कंपनी में इस न्यायालय के निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

24. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने ए. पी. गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। बनाम ए. पी. राज्य नियामक आयोग और एक अन्य, 2004 (10) एस. सी. सी. 511। उपरोक्त मामले में, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड ने एक उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए 3 X 33 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त साइकिल बिजली केंद्र स्थापित करने का विचार रखा था। इस उद्यम में निजी भागीदारी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। 17.10.1988 और 19.04.1997 पर एक समझौता ज्ञापन किया गया था, जिसके अनुसार ए. पी. जी. पी. सी. एल. के रूप में आने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास नई कंपनी में 26 प्रतिशत शेयर होने चाहिए थे और बाकी भाग लेने वाले उद्योगों के पास अलग-अलग प्रतिशत शेयर होने चाहिए थे और कंपनी द्वारा इस तरह उत्पन्न शक्ति को भाग लेने वाली कंपनियों और उनकी सहयोगी संस्थाओं के बीच आनुपातिक रूप से साझा करना था। इस न्यायालय के समक्ष जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था, वह यह था कि क्या ए. पी. जी. पी. सी. एल. को भाग लेने वाले उद्योगों, उनके सहयोगी उद्यमों और उन कंपनियों द्वारा उत्पन्न बिजली के उपयोग/बिक्री और आपूर्ति

के लिए कानून के तहत लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी, जिन्हें भाग लेने वाले उद्योगों द्वारा ए. पी. जी. पी. सी. एल. के शेयर हस्तांतरित किए गए थे।

25. इस न्यायालय ने समझौता ज्ञापन के विभिन्न खंडों और भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1998 के प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, पैराग्राफ 36 और 37 में निम्नलिखित प्रावधान किए हैंः

> "36. समझौता ज्ञापन के पैरा 4 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक प्रतिभागी उद्योग को अपने हिस्से की ऊर्जा और शक्ति को अपने सहयोगी उद्यम को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया है। शब्द को "एक ही समूह के तहत रूप में समझाया गया है। आगे कोई स्पष्टीकरण या संकेत नहीं है कि वे कौन सी चिंताएँ हैं जिन पर एक ही समूह के तहत विचार किया जा सकता है। समझौता ज्ञापन के पैरा 4 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति का निश्चित रूप से एक ऐसी संस्था का अर्थ नहीं है जो भाग लेने वाले उद्योग का स्वामित्व या सहायक है। यह प्रतिभागी उद्योग से अलग एक इकाई होगी न कि इसका एक हिस्सा। हो सकता है कि एक ही समूह दो अलग-अलग स्वतंत्र इकाइयों का प्रबंधन कर सकता है जो एक ही प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हों। उन्हें चिंताओं के रूप में संबोधित किया जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से उनकी अपनी अलग इकाई और पहचान होगी। एक उत्पादक कंपनी द्वारा उत्पन्न बिजली की खपत, जो किसी भी प्रतिभागी उद्योग के समान समूह के तहत हो सकती है, को भाग लेने वाले उद्योग द्वारा स्वयं बिजली की खपत या उपयोग नहीं कहा जा सकता है। उत्पादक कंपनी द्वारा स्व-उपभोग के तत्व के

अभाव में, यह "कैप्टिव खपत" की श्रेणी में नहीं आएगा। यह निश्चित रूप से एक गैर-सहभागी उद्योग के लिए एक आपूर्ति होगी और उस स्थिति में कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लाइसेंस होना आवश्यक होगा। यदि ऐसी कानूनी आवश्यकता है, तो केवल कुछ पक्षों के बीच एक समझौता 'कानून के अनुप्रयोग' को बाहर नहीं करेगा। स्थिति को विनियमित करने वाले कानून के प्रावधान एक समूह के रूप में या अन्यथा कुछ व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के समझौते पर हावी होंगे। इसलिए, हमारा विचार है कि समझौता ज्ञापन में इस तरह का एक खंड ए. पी. जी. पी. सी. एल. द्वारा उत्पन्न बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त नहीं करेगा, जो भाग लेने वाले उद्योगों के समान समूह के तहत हो सकता है, लेकिन स्वयं भाग लेने वाले उद्योगों के लिए नहीं।

37. हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, उत्तरदाताओं द्वारा निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णय को यू. पी. बनाम राज्य के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। रेनुसागर पावर कंपनी हालांकि, इस मामले का फैसला थोड़ा अलग तथ्य स्थिति में किया गया था। मेसर्स हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में सस्ती बिजली प्रदान करने के आश्वासन पर की गई थी। हालांकि, वर्ष 1964 में मैसर्स रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड की स्थापना मैसर्स हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व और सहायक के रूप में की गई थी। यह बिजली का उत्पादन कर रहा था, लेकिन इसे अलग से शामिल किया गया था और इसका अपना अलग समझौता ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ

एसोसिएशन था। राज्य के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए, बिजली की खपत पर शुल्क लगाने के लिए यू. पी. बिजली (शुल्क) अधिनियम, 1952 लागू किया गया था। हालाँकि, समय-समय पर कई संशोधनों को शामिल किया गया और अंततः एक प्रावधान जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार को एक लाइसेंसधारी/बोर्ड/केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा पर बिजली शुल्क नामक शुल्क लगाया जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा। बिजली की खपत पर शुल्क लगाया जा सकता था, भले ही यह उसके अपने उत्पादन के स्रोत से हो। रेनुसागर पावर कं. लिमिटेड ने 1910 के अधिनियम की धारा 28 के तहत लाइसेंस भी प्राप्त किया था। ऐसी परिस्थितियों में, यह माना गया कि भले ही रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड मेसर्स हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी थी, फिर भी यह 1952 के यू. पी. अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए एक उपभोक्ता को एक लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति के बराबर होगी, जो बिजली की खपत पर शुल्क लगाता था। हाथ में मामले में स्थिति केवल इस हद तक समान है कि भाग लेने वाले उद्योग और सहयोगी सरोकार अलग-अलग संस्थाएं हैं और अलग से निगमित हैं। 1952 के उत्तर प्रदेश अधिनियम के तहत हस्तक्षेप करने वाले वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भेदभाव हो सकता है लेकिन यह इस मामले के लिए सामग्री नहीं है।"

26. अंततः, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई और उच्च न्यायालय के फैसले को फैसले के पैराग्राफ 57 के माध्यम से संशोधित किया गया जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः -

> "57 इसलिए हमारा मानना है कि एपीजीपीसीएल द्वारा उत्पन्न और प्रतिभागी उद्योगों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के उपयोग के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और भाग लेने वाले उद्योगों द्वारा एपीजीपीसीएल के शेयरों को इस तरह से हस्तांतरित किए गए शेयरों के मूल्य की सीमा तक उन्हें हस्तांतरित किया जाता है। हालाँकि, सहयोगी संस्थाओं को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए लाइसेंस होना आवश्यक होगा। परिणामस्वरूप, अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को ऊपर बताए गए तरीके से संशोधित किया जाता है। दलों को अपना खर्च खुद वहन करना होगा।"

27. आंध्र प्रदेश गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है और वर्तमान मामले में अपीलार्थी की मदद नहीं करता है। उपरोक्त मामले में ऊर्जा का उपयोग भाग लेने वाले उद्योगों और एपीजीपीसीएल के संबंधित होल्डिंग शेयरों द्वारा किया गया था, लेकिन संबंधित बहन को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए लाइसेंस की आवश्यकता थी। वर्तमान में एक ऐसा मामला है जहां गुजरात विद्युत बोर्ड, जिसे 300 मेगावाट आवंटित किया गया है, एक सहभागी उद्योग नहीं है और न ही अपीलकर्ता संख्या 2 गुजरात विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, भले ही यह माना जाए कि अपीलकर्ता संख्या 1 जिस हद तक यह अपीलार्थी संख्या 2 के 42 प्रतिशत इक्विटी शेयर रखता है, वह संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है।

गुजरात विद्युत बोर्ड, जिसे उत्पादित बिजली का 58 प्रतिशत आवंटित किया गया है, को संयुक्त रूप से ऊर्जा का उत्पादन करने वाला औद्योगिक उपक्रम नहीं कहा जा सकता है।

28. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड, 2016 (9) एस. सी. सी. 103 में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया गया है। उपरोक्त मामला एक ऐसा मामला था जिसमें वर्तमान अपील के पक्षकार मुद्दे पर थे और गुजरात विद्युत बोर्ड के उत्तराधिकारी गुजरात ऊर्जा विकास निगम द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 125 के तहत बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। अपीलार्थी ने बिजली खरीद समझौते से उत्पन्न विवाद के निर्णय के लिए गुजरात विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी। अपीलार्थी ने ई. पी. एल. द्वारा बिजली के गलत आवंटन के लिए मुआवजे की मांग की थी, जो अपीलार्थी की वरीयता में संबंधित कंपनी एस्सार स्टील लिमिटेड को दिया गया था। आयोग के पास पक्षों के बीच दिनांकित बिजली खरीद समझौते के विभिन्न खंडों की जांच करने का अवसर था। इस न्यायालय ने ई. पी. एल. की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह ई. एस. एल. को अपनी आवंटित क्षमता से अधिक बिजली बेच सकता है। निर्णय के पैरा 22 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः -

> "22. समझौता स्पष्ट रूप से क्षमता के आवंटन के अनुपात पर विचार करता है। ई. पी. एल. को बिजली उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन केंद्र को ईंधन देना और संचालित करना पड़ता है जिसे आवंटित क्षमता के अनुरूप उत्पन्न किया जा सकता है। अपीलार्थी को समझौते की अनुसूची VII के खंड 7.1.1 के संदर्भ में निर्धारित वार्षिक निश्चित लागत का भुगतान करना होता है। इस प्रकार आयोग का यह कहना सही है कि एक बार जब पूरी क्षमता को

एक विशेष अनुपात में दो भागों में आवंटित कर दिया जाता है, तो ई. पी. एल. का यह तर्क कि वह ई. एस. एल. को आवंटित क्षमता से अधिक बिजली बेच सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ई. पी. एल. अनुसूची VI के अनुसार उपलब्ध क्षमता की साप्ताहिक अनुसूची घोषित करने के लिए बाध्य था और प्रेषण निर्देश उक्त घोषणा के आधार पर जारी किए जाने थे. इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता था कि ई. पी. एल. का क्षमता घोषित करने का कोई दायित्व नहीं था और प्रेषण निर्देश जारी करने का जी. यू. वी. एन. एल. का दायित्व ई. पी. एल. द्वारा उपलब्ध क्षमता की घोषणा पर निर्भर नहीं था। न्यायाधिकरण का विपरीत दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। अनुच्छेद 45 और 46 में और अन्य स्थानों पर अपने निर्णय में, न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि आनुपातिक आधार पर उपलब्ध क्षमता घोषित करने का कोई दायित्व नहीं था। पैराग्राफ 9 में आयोग का निष्कर्ष ऊपर उद्धृत इसके आदेश का 5 से 9.12 तक समझौते की सही व्याख्या है। हम उसी के अनुसार चलते हैं।"

29. उपरोक्त मामले में 1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) के अर्थ के भीतर उत्पाद शुल्क में छूट का सवाल नहीं उठा था और न ही इस सवाल पर विचार किया गया था कि क्या ई. पी. एल. को अपीलार्थी सं. 1 और गुजरात विद्युत बोर्ड। वर्तमान मामले में उत्पन्न हुए मुद्दों के लिए, उपरोक्त निर्णय कोई मदद नहीं करता है।

30. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने भुगतान के दावे को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ई. पी. एल. और

ई. सी. एल. के बीच ऐसा कोई समझौता ज्ञापन नहीं है जैसा कि ए. पी. गैस पावर लिमिटेड (सुप्रा) में पाया गया था। यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि वर्तमान मामले में ई. पी. एल. और ई. सी. एल. के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय का निर्णय केवल उपरोक्त आधार पर आधारित नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया है कि 1958 अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) (ए) (आई) के तहत निर्धारित शर्तें संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए, अपीलकर्ता नं. 1 छूट का हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा उठाए गए सभी निवेदनों पर विस्तृत रूप से विचार किया है और उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि धारा 3 (2) (vii) (a) में उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। हम उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

<u>अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत दावा</u>

31. बॉम्बे विद्युत अधिनियम, 1958 की धारा 3 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांकित 27.02.1992 अधिसूचना जारी की गई थी। 27. 02.1992 की अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

"अधिसूचना

सचिवालय गांधीनगर

27 फरवरी, 1992

बम्बई विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958

सं. जीएचसी/92/10 जेसीपी/1188/2594 के

बॉम्बे विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958 की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1958 का एक्स. एल.), गुजरात सरकार इसके द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को और उससे प्रभावी रूप से प्रेषित की गई। पूरे गुजरात राज्य में, उक्त अधिनियम की अनुसूची II के भाग 1 की मद (6) के तहत देय बिजली शुल्क, औद्योगिक उपक्रमों द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रेरक बिजली और प्रकाश के लिए खपत की जाने वाली ऊर्जा पर, जो या तो केवल इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र संयुक्त कंपनी की स्थापना करके या आनुपातिक लागत साझाकरण के आधार पर अपने स्वयं के उपयोग के लिए संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उत्पादन सेटों के चालू होने की तारीख से दस साल की अवधि के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन हैः -

(क) उत्पादन सेट या सेट 1 जनवरी, 1991 से शुरू होकर 31 दिसंबर, 1992 को समाप्त होने की अवधि के दौरान खरीदे और स्थापित या चालू किए गए होंगे। बशर्ते कि इस तरह के उत्पादन अधिनियम या सेट राज्य में पहले उपयोग नहीं किए गए होंगे।

****** ******

32. उपर्युक्त अधिसूचना के तहत अपीलार्थी द्वारा उठाए गए दावे पर विशेष रूप से उच्च न्यायालय और सरकार द्वारा विचार किया गया था। अधिसूचना की प्रयोज्यता के लिए जिस शर्त की कमी पाई गई, वह यह थी कि 01.01.1991 से 31.12.1992 तक की अवधि के दौरान जनरेटिंग सेट खरीदे या स्थापित या चालू नहीं किए गए थे। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि उत्पादन सेट अगस्त 1995 के महीने में चालू किए गए थे। डिवीजन बेंच के फैसले के पैराग्राफ 12 का उल्लेख करना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः -

"12.0. अब, जहाँ तक अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत 10 साल की अवधि के लिए छूट देने के अपीलार्थियों के वैकल्पिक दावे का संबंध है, अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 पर विचार करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अधिसूचना में पूर्ववर्ती शर्तों को अपीलार्थियों द्वारा अधिक विशेष रूप से अपीलार्थी संख्या 1-ई. एस. एल. द्वारा संकलित किया गया नहीं कहा जा सकता है। दिनांक 27.02.1992 की अधिसूचना के लाभ का दावा करने के लिए यह स्थापित किया जाना है कि उत्पन्न करने वाले सेट या सेट को 01.01.1991 से शुरू होने और 31.12.1992 पर समाप्त होने की अवधि के दौरान खरीदा/स्थापित या चालू किया गया है। रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि उत्पादन सेट अगस्त 1995 के महीने में चालू किए गए थे, अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि उत्पादन सेट भी उपरोक्त अवधि के दौरान खरीदे गए थे। यह विवादित नहीं हो सकता है कि किसी कर कानून में विशेष रूप से शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में, सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है जिन्हें वैधानिक कहा जा सकता है और जब तक छूट अधिसूचना में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है और/या संकलित नहीं किया जाता है, तब तक अधिसूचना के तहत कोई छूट नहीं होगी। वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, विचाराधीन उत्पादन सेट अगस्त 1995 के महीने में चालू किए गए हैं। अपीलार्थी यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि उन्होंने 01.01.1991 से 31.12.1992 तक की अवधि के दौरान उत्पादन सेट भी खरीदे हैं। खरीद के लिए ऑर्डर की अधिक नियुक्ति उत्पादन सेट की वास्तविक खरीद के बराबर नहीं हो सकती है।

33. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह था कि अधिसूचना के आवेदन के 180 दिनों के भीतर या जनरेटिंग सेट की स्थापना की तारीख यानी अगस्त 1995 से भी कोई आवेदन नहीं किया गया था। भले ही उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दूसरे कारण को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन शर्त संख्या (ए)

अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 को पूरा न करने पर स्पष्ट रूप से अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत दावे को अस्वीकार कर दिया जाता है। इस अपील में भी उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर हमला करने के लिए कोई आधार या आधार निर्धारित नहीं किया गया है कि जनरेटिंग सेट 01.01.1991 से 31.12.1992 नहीं खरीदा गया था।

34. इस प्रकार हमें दिनांक 27.02.1992 की अधिसूचना के तहत अपीलार्थी के दावे की अस्वीकृति में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

35. उच्च न्यायालय ने धारा 3 (2) के साथ-साथ धारा 3 (3) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 27.02.1992 के तहत अपीलार्थी के दावे को सही ढंग से नकार दिया है। हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।